

निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) को उनके आवेदन के आधार पर कॉलम 03 में अंकित पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

| क्रम संख्या | नाम कनिष्ठ लेखाकार सर्वश्री      | नाम पाठ्यक्रम/परीक्षा का नाम एवं सत्र                  | परीक्षा आयोजक संस्था                             | वर्तमान कार्यालय                                 |
|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1.          | 2.                               | 3.                                                     | 4.                                               | 5.                                               |
| 1.          | मीनाक्षी ओझा<br>(रोल नं.-708803) | एम. ए. (प्रीवियस)<br>वर्ष 2026<br>(इतिहास) (स्वयंपाठी) | महर्षि दयानन्द<br>सरस्वती विश्वविद्यालय<br>अजमेर | कार्यालय खण्ड<br>मुख्य चिकित्सा<br>अधिकारी नागौर |

उक्त अध्ययन स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 18.11.2006 में वर्णित निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

- 1 शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
- 2 प्रत्येक वर्ष के लिये अलग-अलग स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी।
- 3 विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- 4 अध्ययन जारी रखने की स्वीकृति दिये जाने से किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और इस दौरान अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकता है।
- 5 अध्ययन जारी रखने से दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा/व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
- 6 परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 7 प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(सीमा कौशल)  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)

क्रमांक:-प.4(ई)(1)(6)निप/भर्ती-2023/(स्थापना)/अलेसे-III/ 10456 दिनांक:- 30-12-2025  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय नागौर
2. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
3. संयुक्त निदेशक (एसीपी) कम्प्युटर शाखा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. सुश्री मीनाक्षी ओझा (रोल नं.-708803) (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय नागौर

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)

Signature valid

Digitally signed by Seema Kaushal  
Designation: Joint Director  
Date: 2025.12.30 12:03:42 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:  
19566113  
eSign 1.0

